F.No. Edn.5/1/2008-EQR(Part-II)
Government of India
Ministry of Agriculture and Farmers Welfare
Department of Agricultural Research and Education (DARE)
Krisihi Bhawan, New Delhi - 110001

Dated /o April, 2017

Notification

In exercise of the powers conferred under Rule 83 of the Rules & Bye-Laws of the ICAR Society and on the basis of the Resolution passed in the 87th Annual General Meeting of the ICAR Society held on 4th February, 2016, Rule 51 & Rule 52 concerning the restructuring and strengthening of Accreditation Board of the ICAR Society shall stand amended as detailed below with effect from 09th February, 2017 i.e. the date on which the Competent Authority in the Government of India has approved these amendments:-

Sl. No.	Rule	Existing Provision	Approved Provision
		Nomenclature	
1.	Rule 51	Accreditation Board	National Agricultural Education Accreditation Board
		Secretariat and Regional Centres of the Board	
2.	Rule 52	An independent Secretariat directly responsible to the Director-General, ICAR with full time Secretary of the Board in the rank of ADG, with adequate staff, to execute the above responsibility will be established.	An independent Secretariat directly responsible to the Director-General, ICAR with full time Secretary of the Board in the rank of ADG, with adequate staff, to execute the above responsibility will be established. The Board will have four Regional Centres in North, East & North East, West and Southern region at IARI, New Delhi; CRIJ&AF, Barrackpore; CIFE, Mumbai and IIHR, Bengaluru, respectively. Each Regional Centre will be headed by a Regional Coordinator in the rank of a Principal Scientist and have an Eminent Academician as Honorary Regional Advisor. The Board and its Regional Centres will be supported with necessary infrastructure including scientific, technical, financial and administrative staff.

The above amendments are subject to the condition that there shall be no additional financial liability and all requirements of manpower being met through appropriate internal redeployment.

2....

Mr. Manoj
Pl. see for uploading.
12/4

The terms of references of above four Regional Centres of National Agricultural Education Accreditation Board are as under:

1. Regional Centres will be responsible for receipt of the Self Study Reports, their preliminary examination and compliance under the guidance of Regional Advisor.
2. Details of States under Regional Centres and Office:

Region	States Covered	Regional Office
North	Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Chandigarh and Delhi	IARI, New Delhi
East & North East	Bihar, West Bengal, Odisha, Chhattisgarh, Jharkhand, Assam, Manipur, Sikkim, Meghalaya, Nagaland, Tripura, Mizoram, Arunachal Pradesh, Andaman & Nicobar islands	CRIJ&AF Barrackpore, Kolkata
West	Gujarat, Goa, Madhya Pradesh, Maharashtra, Daman & Diu and Dadar & Nagar Haveli	CIFE, Mumbai
South	Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana, Kerala, Tamil Nadu and Puducherry	IIHR, Bengaluru

This is issued with the approval of competent authority of Government of India as per provision of Rule 83 of Rules and Bye Laws of ICAR Society.

R. Vijayaraghavan 05/04/2017
(R. Vijayaraghavan)
Under Secretary to the Government of India

Distribution:-

1. All Officers and Sections at ICAR Headquarters/KAB-I&II
2. All Directors of the ICAR Institutes/NRCs/ATARIs/PDs/Bureaux
3. Chairman/Members/Secretary, ASRB
4. Establishment Division, DARE
5. PS to Hon'ble AM
6. Sr. PPS to DG, ICAR/PPS to Secretary, ICAR/PPS to AS&FA, DARE/ICAR
7. DKMA, KAB-II, Pusa, New Delhi for uploading on DARE/ICAR website
8. Guard file/Spare Copies (10)

एफ.सं. शिक्षा 5/1/2008-ईक्यूआर (भाग-II)
भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (डेयर)
कृषि भवन, नई दिल्ली- 110001

दिनांक /८अप्रैल, 2017

अधिसूचना

भाकृअप सोसाइटी के नियमों के नियम 83 और उप-विधियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भाकृअप सोसाइटी की 4 फरवरी, 2016 को हुई 87वीं वार्षिक आम सभा में पारित प्रस्ताव के आधार पर, भाकृअप सोसाइटी के प्रत्यायन बोर्ड की पुनर्संरचना और उसे सुदृढ़ करने से संबंधित नियम 51 और 52 दिनांक 09 फरवरी, 2017 अर्थात् भारत सरकार में सक्षम अधिकारी द्वारा इन संशोधनों को अनुमोदित करने की तारीख से नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार संशोधित किए जाते हैं :-

क्रम संख्या	नियम	वर्तमान प्रावधान	अनुमोदित प्रावधान
नामावली			
1.	नियम 51	प्रत्यायन बोर्ड	राष्ट्रीय कृषि शिक्षा प्रत्यायन बोर्ड
बोर्ड का सचिवालय और क्षेत्रीय केन्द्र			
2.	नियम 52	उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए पर्याप्त स्टॉफ सहित बोर्ड के सहायक महानिदेशक रैंक के पूर्णकालिक सचिव सहित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक के प्रत्यक्ष नियंत्रणाधीन एक स्वतंत्र सचिवालय स्थापित किया जाएगा।	उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए पर्याप्त स्टॉफ सहित बोर्ड के सहायक महानिदेशक रैंक के पूर्णकालिक सचिव सहित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक के प्रत्यक्ष नियंत्रणाधीन एक स्वतंत्र सचिवालय स्थापित किया जाएगा। बोर्ड के उत्तर, पूर्व और उत्तर-पूर्व, पश्चिम और दक्षिण क्षेत्र में चार क्षेत्रीय केन्द्र होंगे जो क्रमश: आईएआरआई, नई दिल्ली, सीआरआईजेएंडएएफ, बैरकपुर, सीआईएफई, मुम्बई और आईआईएचआर, बेंगलूरू में होंगे। प्रत्येक क्षेत्रीय केन्द्र का अध्यक्ष एक क्षेत्रीय समन्वयकर्ता होगा जो प्रधान वैज्ञानिक स्तर का होगा और एक प्रख्यात शिक्षाविद् अवैतनिक क्षेत्रीय सलाहकार के रूप में होगा। बोर्ड और उसके क्षेत्रीय केन्द्रों को वैज्ञानिक, तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्टाफ सहित आवश्यक अवसंरचना के साथ सहायता दी जाएगी।

उपर्युक्त संशोधन इस शर्त के अध्यधीन हैं कि कोई अतिरिक्त वित्तीय देयता नहीं होगी और जनशक्ति की सभी आवश्यकताएं उपयुक्त आंतरिक पुन: परिनियोजन के माध्यम से पूरी की जाएंगी।

...2/-

राष्ट्रीय कृषि शिक्षा प्रत्यायन बोर्ड के उक्त चारों क्षेत्रीय केन्द्रों के विचारार्थ विषय निम्नानुसार होंगे:

1. क्षेत्रीय केन्द्र स्व अध्ययन रिपोर्टें प्राप्त करने, क्षेत्रीय सलाहकार के मार्गदर्शन में उनकी प्रारंभिक जांच करने और अनुपालन के लिए जिम्मेदार होंगे।
2. क्षेत्रीय केन्द्रों और कार्यालय के अन्तर्गत राज्यों का विवरण:

क्षेत्र	कवर किए गए राज्य	क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर	हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़ और दिल्ली	आईएआरआई, नई दिल्ली
पूर्व और उत्तर-पूर्व	बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, असम, मणिपुर, सिक्किम, मेघालय, नागालैण्ड, त्रिपुरा, मिजोरम, अरूणाचल प्रदेश, अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	सीआरआईजे एंड एएफ, बैरकपुर, कोलकाता
पश्चिम	गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दमन एवं दीव और दादर एवं नगर हवेली	सीआईएफई, मुम्बई
दक्षिण	कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी	आईआईएचआर, बेंगलुरू

इस अधिसूचना को भा.कृ.अ.प. सोसाइटी के नियम एवं उपविधियों में निहित नियम 83 के अंतरगर्त भारत सरकार के सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के उपरांत जारी किया जा रहा है।

आर विजयराघवन
05/04/2017
(आर. विजय राघवन)
अवर सचिव भारत सरकार

वितरण :-

1. भा.कृ.अ.प. मुख्यालय/कृषि अनु. भवन I/ II में स्थित सभी अधिकारी और अनुभाग
2. समस्त भा.कृ.अ.प. संस्थानों/रा.अ.केन्द्रों/एटीएआरआई/पी.डी./ब्यूरो के सभी निदेशक
3. कृषि वैज्ञानिक चयत मंडल के अध्यक्ष/सदस्य/सचिव
4. स्थापना प्रभाग, डेयर
5. माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री के निजी सचिव
6. महानिदेशक, भाकृअप के वरि0 प्रधान निजी सचिव/सचिव, भा.कृ.अ.प. के प्रधान निजी सचिव/वित्त सलाहकार, डेयर/भाकृअप के प्रधान निजी सचिव
7. डीकेएमए, कैब-2, नई दिल्ली को भा.कृ.अ.प./डेयर की वेबसाइट में अपलोड करने हेतु
8. गार्ड फाईल/अतिरिक्त प्रतियां (10)।